# राजस्थान सरकार
## निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर

आयुष भवन सेक्टर–26 प्रताप नगर, जयपुर–302033

क्रमांकः–प.1(प्रति–2)/न.क.नियु./7/पार्ट II/2013/3505–12 दिनांकः–31.07.2018

## आदेश

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णनन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविधालय जोधपुर के द्वारा कम्पाउण्डर नर्स जूनियर ग्रेड यूनानी की प्रेषित चयन सूची के अनुसार राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 संशोधित नियम 2010 एवं संशोधित नियम 2013 के अन्तर्गत कम्पाउन्डर नर्स जूनियर ग्रेड के पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 2/2013 दिनांक 14.08.2013 के विरूद्ध पूर्व में जारी अन्तिम चयन सूची दिनांक 15.06.18 के क्रम में 03 अभ्यर्थियों ने एसटी में चयन होने के स्थान पर एसटी टाडा में व 04 अभ्यर्थियों ने एसटी संवर्ग में चयन होने के स्थान पर यू.आर. टाडा में चयन हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया। इस कारण एस.टी. संवर्ग कें रिक्त पदो के विरूद्ध 07 अभ्यार्थियों की सूची डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णनन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से प्राप्त कर सक्षम अनुमोदन उपरान्त दस्तावेज सत्यापन हेतु निम्नानुसार जारी की जाती है।

**Unani Junior Nurse/Comp. Adv no. 02/2013 Cast -ST Gender All Post - 7**

| M no. | S. No. | Application No | Candidate's Name | Father's Name | Date of Birth | Gender | Category | PHN/PHY | Total marks (85%+B M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 502 | 5859602 | VIKAS KUMAR MEENA | MORPAL MEENA | 11/20/1990 | male | ST | PHN | 61.13 |
| 2 | 507 | 5813983 | HARKESH MEENA | GULAB MEENA | 1/5/1989 | male | ST | PHN | 61.09 |
| 3 | 516 | 5826140 | JUGRAJ | RAMESHWAR PRASAD | 7/19/1991 | male | ST | PHN | 61.09 |
| 4 | 552 | 5825881 | BATTI LAL MEENA | BHOGI LAL MEENA | 2/2/1968 | male | ST | PHN | 60.93 |
| 5 | 564 | 5854995 | SAMPAT MEENA | MANGI LAL MEENA | 4/28/1987 | male | ST | PHN | 60.87 |
| 6 | 589 | 5847197 | SURESH KUMAR MEENA | PRAHLAD SAHAY MEENA | 4/15/1991 | male | ST | PHN | 60.79 |
| 7 | 622 | 5879084 | RAJENDRA KUMAR MEENA | KAMLESH KUMAR | 8/25/1992 | male | ST | PHN | 60.65 |

उक्त चयन सूची निम्नलिखित शर्तो के अध्याधीन जारी की जाती हैः–

1. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके सैकण्ड्री/सीनियर हायर सैकण्ड्री के मूल प्रमाण पत्रों में उल्लेखित जन्म तिथि निदेशालय द्वारा सत्यापित की जायेगी ।
2. दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होगें। इस आशय का शपथ पत्र संबधित अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
3. उक्त अभ्यर्थियों को **दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होते** समय गृह जिले के जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, (**दिनांक 31 .07.18 को या इस के पश्चात जारी**) सक्षम अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण, सेवा नियमों में उल्लेखित सेवा का अनुभव प्रमाण पत्र, संतान संबंधी शपथ पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, धुम्रपान संबंधी वचन पत्र, दहेज संबंधी शपथ पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र (दो पृथक–पृथक राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी) कॉलेज द्वारा जारी चरित्र प्रमाण, समस्त शैक्षणिक दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति, विज्ञप्ती संख्या

2/2013 के अन्तर्गत जमा राशि के चालान व फार्म की प्रति एवं अन्य सुसंगत आवश्यक समस्त दस्तावेजों की छायाप्रतियां जो आवश्यक हो, निदेशालय में जमा/सत्यापित करवानी होगी ।

4. अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों में से किसी के भी फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगें साथ ही दोषी के विरूद्व न्यायिक/दण्डिक कार्यवाही की जायेगी । अभ्यर्थी को सत्यापन करने से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि कोई भी प्रमाण पत्र दस्तावेज फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित पाया गया तो उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा एवं वह आपराधिक दण्डिक कार्यवाही का भागीदार होगा ।
5. उक्त नियुक्ति संबधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन होगी।
6. राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन किया जाना अनिवार्य किया गया है, अतः विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र सत्यापन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करना होगा। परिपत्र दिनांक 22.05.2006 के जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थियों को इस आशय का नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. निःशक्त अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड से निःशक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त कर दस्तावेजों के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
8. उक्त समस्त अभ्यर्थियों को चयन सूची जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि के भीतर अपने दस्तावेज सत्यापन निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग से करवाने होगें। इस हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
9. निर्धारित अवधि तक दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित ना होने पर अभ्यार्थी की पात्रता रद कर दी जायेगी।
10. उक्त नियुक्त नर्स/कम्पा. के पदस्थापन स्थान सक्षम अनुमोदन उपरान्त अलग से जारी किये जायेगें ।

/

निदेशक

क्रमांकः-प.1(प्रति-2)/न.क.नियु./7./पार्ट II/2013/3505-12 दिनांकः-31.07.2018

प्रतिलिपिः-निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. कुलसचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविधालय जोधपुर ।
4. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान, जयपुर ।
5. निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर ।
6. निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर ।
7. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट, निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राज. जयपुर को दी जाकर लेख है कि उक्त संवर्गवार चयन सूची को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें ।
8. प्रभारी, विधि शाखा निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राज. जयपुर।
9. संबधित अभ्यर्थी श्री.................................................................................................... ।

निदेशक